वित्त मंत्री श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह का बजट भाषण

दिनांक 2 मार्च, 2001 को झारखण्ड सरकार ने अपना पहला बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने बजट को विकास का आईना कहते हुए वित्त मंत्री श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह को सदन में बजट उपस्थापित करने की अनुमति दी। श्री सिंह ने अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण की शुरूआत की। उन्होंने कहा—आप अवगत हैं कि अपने पूर्ववर्ती राज्य से झारखण्ड को विरासत में आतंकवादी गतिविधियों की परम्परा मिली तथा राजकीय कोष शून्य ही नहीं अपितु, 52.06 करोड़ रुपये ऋणात्मक मिला।

राज्य के प्रादुर्भाव के साथ दो मुख्य चुनौतियाँ सरकार के समक्ष थी। पहली आतंकवाद पर काबू पाना क्योंकि राज्य के विकास में आतंकवाद सबसे बड़ा अवरोध था। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा पुलिस बल को वाहनों एवं अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से 30.96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये 59.75 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इस मद में किया गया है। इनमें दो सशस्त्र वाहिनियों का गठन, थाना, पुलिस पीकेट का निर्माण कार्य, आधुनिक शस्त्रों तथा बड़े, मध्यम एवं छोटे वाहनों की खरीद शामिल है।

दूसरी, राज्य के वित्तीय संसाधन में बढ़ोत्तरी लाना। राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का कार्य हो या गरीबों के उत्थान के लिये विकास कार्यों का कार्यान्वयन, वित्तीय संसाधनों के अभाव में संभव नहीं है। इस उद्देश्य से सभी संसाधन जुटाने वाले विभागों की बैठक बुलाकर राज्य करों की उगाही पर बल दिया गया। फलस्वरूप वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राजकोष (ऋणात्मक) 52.05 करोड़ से बढ़कर (धनात्मक) 7.52 करोड़ रुपये हो गया।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये हमारी सरकार ने उन समस्त क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहाँ विकास की सम्भावनायें हैं। हमारे पदाधिकारियों ने अलग-अलग विभागों के साथ बैठक कर बजट उपबंधों की विस्तृत समीक्षा की है तथा अनावश्यक व्यय को समाप्त कर एक विकासोन्मुख बजट तैयार करने का प्रयास किया है। विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। पिछले वर्षों के मुकाबले करीब चार गुणा अधिक रकम विकास कार्यक्रमों पर लगाया जाएगा। पारम्परिक बजट से हटकर वर्त्तमान बजट में विकास योजनाओं की उन विशिष्ट इकाईयों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिन इकाईयों में राशि को व्यय करना है ताकि राशि का विचलन अन्य कार्यों में नहीं किया जा सके तथा वह कार्य पूरा हो सके जिसके लिए राशि उपबंधित है।

झारखंड राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कई प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। कोषागारों की कम्प्यूटर प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों को कम्प्यूटर के द्वारा राज्य मुख्यालय से जोड़ा जाएगा ताकि आय-व्यय तथा सामान्य भविष्य निधि, वाणिज्य-कर संग्रहण के लेखाओं तथा विकास योजनाओं का गहन अनुश्रवण किया जा सके। राज्य के सीमाओं पर राजस्व की चोरी रोकने तथा व्यापार पर नियंत्रण हेतु दस संयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किए जाएँगे, जिसमें वाणिज्य कर, परिवहन, वन एवं खनन विभाग लेंगे। इन कार्यों हेतु वर्ष 2001-2002 के बजट में 17.62 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण-सह-अनुदान के द्वारा रोजगारोन्मुखी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2001-2002 में इस हेतु निम्नांकित केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में राशि उपलब्ध करायी जायेगी :—

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि उनकी वार्षिक आय में वृद्धि हो और वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 35.49 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित है।

(ख) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों में ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सृजन है। इस योजना के माध्यम से रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 40.40 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार के कमी के दिनों में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना तथा समुदाय के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 103.36 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(घ) इन्दिरा आवास योजना :

इस योजना का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण तथा 20 प्रतिशत पुराने आवासों के उन्नयन पर व्यय किया जाता है। नये आवासों के निर्माण के लिए बीस हजार रुपये प्रति इकाई तथा पुराने आवासों के उन्नयन के लिए अधिकतम दस हजार रुपये प्रति इकाई की राशि अनुमान्य है। इस हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए 116.87 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है जिसमें 93.5 करोड़ रुपये नये आवासों के निर्माण के लिए तथा 23.37 करोड़ रुपये पुराने आवासों के उन्नयन के लिए रखा गया है।

(ङ) इन्दिरा आवास अनुदान सह-ऋण योजना :

इस योजना का उद्देश्य बत्तीस हजार रुपये तक के आय वाले परिवारों को आवास निर्माण के लिए अधिकतम चालीस हजार रुपये ऋण तथा दस हजार रुपये अनुदान के रुप में उपलब्ध कराना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कुल 12.00 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इससे लगभग सात हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा।

उपर्युक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा माननीय विधान सभा सदस्यों की अनुशंसा पर कार्यान्वित की जाने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए प्रति सदस्य एक करोड़ रुपये की दर से कुल 81.00 करोड़ रुपये का उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2001-2002 में किया गया है जिससे क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप छोटी-बड़ी योजनाएँ क्रियान्वित की जा सकें।

राज्य सरकार, झारखण्ड को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्प है, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में बसे आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा करने एवं उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा ग्रामीण पथों, पुल-पुलियों का निर्माण एवं मरम्मति कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इसके साथ ही पुराने पथों का सुदृढ़ीकरण कार्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पथ निर्माण एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पथों का निर्माण कार्य भी ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा कराया जा रहा है। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कुल 113.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि राज्य के प्रत्येक गाँव को पंचायत से तथा पंचायतों को प्रखण्ड मुख्यालयों से पक्की सड़क से जोड़ा जा सके।

जलछाजन योजना के अन्तर्गत पानी के अभाव वाले इलाकों में वॉटर शेड का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने का पानी की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कुल 25.00 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है ताकि सिंचाई एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो।

बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए कुल 51.65 करोड़ रुपये का उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास के सदृश्य ग्रामीण आवास की योजना पिछले वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2001-2002 में 30.00 करोड़ रुपये के उपबन्ध से 15,000 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गाँवों का समुचित विकास हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और कृषि पर आधारित कार्यक्रमों को प्रधानता दी जाय। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए सरकार ने जून, 2001 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है जिसके लिए बजट में उपबंध किया गया है।

राज्य सरकार प्राकृतिक वनों के पूर्ण सुरक्षा के साथ-साथ गहन वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति दृढ़ संकल्प है। राज्य के 29.6 प्रतिशत भू-भाग पर वन अवस्थित हैं जिसमें 19356 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को सुरक्षित एवं 4249 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है। अवकृष्ट वन भूमि के पुर्नवास पर विशेष बल दिया गया है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 20.80 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 26000 हेक्टर अवकृष्ट वन भूमि का पुनर्वास अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में राज्य के प्रमुख सड़क मार्गों के किनारे फलदार वृक्षों को लगाना दूसरी प्राथमिकता है जिसका लाभ सीधे आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए योजना मद में 9.00 करोड़ की राशि की व्यवस्था आकस्मिकता निधि से की गई है। प्रथम चरण में दुमका, देवघर एवं साहेबगंज जिलों के मुख्य सड़क मार्गों को लिया जायगा। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस मद में 26.55 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र में विश्व स्तर के टिस्को एवं टेल्को जैसे वृहत उद्योग हैं तथा एच.ई.सी., बोकारो स्टील जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्योग के अतिरिक्त सी.सी.एल एवं बी.सी.सी.एल. जैसे केन्द्रीय उपक्रम हैं। इन उद्योग संघों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के हित को देखना भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिये वर्ष 2001-2002 के बजट में योजना मद में 3.09 करोड़ का उपबन्ध है।

झारखण्ड सरकार अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जाति/महिलाओं/बच्चों एवं विकलांगों के उत्थान के लिए चिन्तित ही नहीं, बल्कि प्रतिबद्ध है। कल्याण प्रक्षेत्र के लिए कुल 207.92 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह विचार है कि इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इस हेतु उच्च, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के आदिवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2001-2002 में 4.70 करोड़ रु. का उपबन्ध किया गया है। छात्रवृत्ति का भुगतान कुल 2,05,047 छात्रों को किया जायगा। इसी प्रकार अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए 3.30 करोड़ रु. तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए 1.30 करोड़ रु. कर्णांकित किये गये हैं।

बी.आई.टी. मेसरा, राँची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा देने हेतु 4.15 करोड़ रु. के लागत पर एक पॉलिटेकनिक की परियोजना हाथ में ली गयी है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीच्यूट, राँची में एक म्युज़ियम स्थापित किया जायेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए 100 शय्याओं का, सभी सुविधाओं से युक्त, छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। राज्य के आदिम जनजाति के सभी परिवारों को अलगे दो-तीन वर्षों में पूर्ण रूप से आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। विलुप्त हो रहे आदिम जनजातियों के कल्याणार्थ दस वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों का अनिवार्य जीवन बीमा राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। राज्य के बाहर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अखिल भारतीय प्रतियोगिता से उत्तीर्ण होकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन करने की योजना है। उलिहातु परियोजना के तहत बिरसा मुंडा काम्प्लेक्स तथा उसके अन्दर एक आश्रम स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। सरकार ने साहेबगंज के भोगनाडीह ग्राम में सिद्धू-कान्हू की याद में एक ऐसा ही स्मारक तैयार करने का निर्णय लिया है। गंदे कार्यों में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने, नगर सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को वैधिक

सहायता देने एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत राहत पहुँचाने हेतु प्रबन्ध किया गया है। विकलांगों के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराने, नेत्रहीन एवं मूक-बधिर विद्यालयों को सुचारू रुप से चलाने पर ध्यान दिया जाएगा। राँची स्थित मूक बधिर तथा नेत्रहीन विद्यालय भवनों के लिए 2.00 करोड़ रु. का उपबन्ध किया गया है। विकलांगों को मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के स्पेस्टिक (Spastic) बच्चों के लिए राँची में विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है एवं इसके लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में 60 लाख रु. उपबन्ध किया गया है।

समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना राज्य के 152 प्रखण्डों में चल रही है। सम्प्रति यह कोडरमा जिले में नहीं चल रही है। सरकार प्रयासरत है कि कोडरमा भी इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित हो।

वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा इस अभियान को सफल करने हेतु हर सम्भव कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को उद्यम में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं गाँवों में महिला मंडलों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याणार्थ अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा।

आदिम जनजातियों के लिए इन्दिरा आवास योजना जैसी एक आवासीय परियोजना चलायी जाएगी जिसके लिए वर्ष 2001-2002 में 16.00 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं। आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के आवासीय विद्यालयों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु बजट में 5.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समेकित बाल विकास परियोजना के लिए अलग वित्तीय वर्ष के बजट में 10.00 करोड़ रु. उपबंधित है। वर्ष 2001-2002 में एक महिला विकास निगम प्रारम्भ करने का विचार है एवं इस हेतु बजट में 5 लाख रु. का उपबंध किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत सम्प्रति 7 रिमांड होम जो राँची, चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका एवं देवघर जिलों में संचालित हो रहे हैं, में जीर्णोद्धार के लिए 5.00 करोड़ रु. कर्णांकित किया गया है।

केन्द्र सरकार से कल्याण प्रक्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों के लिए सहायता मिलती है। राज्य सरकार चाहती है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पूरा लाभ उठाया जाय।

झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ध्यान में रखते हुए आर.एम.सी.एच. राँची तथा एम. जी. एम. अस्ताल, जमशेदपुर को सुपर स्पेशेलिटी चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु मेसर्स होस्पीटो इण्डिया से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाया जा रहा है। पोलियो के उन्मूलन हेतु टीकाकरण पर जोर बरकरार रहेगा। झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में मलेरिया का बहुत अधिक प्रकोप है अतः मलेरिया उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राष्ट्रीय सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राँची, पलामू, हजारीबाग, चतरा में विशेष अभियान के तहत चलाया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 में इस अभियान के तहत 10 जिलों का चयन किये जाने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 112.50 करोड़ रु. आय व्ययक में उपबंधित किये गये हैं। इस उपबन्ध में अस्पतालों के जीर्णोद्धार, उत्क्रमण एवं देशी चिकित्सा का विकास भी सम्मिलित है। ग्वारहवें वित्त आयोग द्वारा 2001-2002 के लिए 15 करोड़ रु. की अनुशंसा की गयी है जिसमें 5 जिलों के सदर अस्पताल में डायग्नोस्टिक केन्द्र स्थापित करने की क्रमबद्ध योजना है। ये 5 जिले हजारीबाग, पलामू, दुमका, चाईबासा एवं गुमला है।

झारखण्ड राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के अलावे कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अधिकांश भूमि पठारी होने के बावजूद लोग फसल उत्पादन, फल-फूल एवं सब्जी की खेती में बहुत मेहनत करते हैं। झारखण्ड में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कर दी गई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को और भी विकसित किया जायेगा। बायोटेक्नोलोजी के प्रक्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा और इसके लिए निजी क्षेत्र तथा कृषि विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी जायेगी। कृषि प्रक्षेत्र के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में 36.88 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है।

कृषि उत्पादन में तभी वृद्धि हो सकती है, जब समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। सिंचाई के अभाव में झारखण्ड मुख्यतः

खरीफ मौसम में ही फसल उगा पाती है। सरकार ने कृषि प्रक्षेत्र को बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है ताकि इस राज्य में तीन फसल लिया जा सके। यहाँ अनेकों छोटी-बड़ी नदियाँ हैं जिनपर योजना कार्यान्वित हो सकती है। भू-गत जल श्रोतों का सर्वेक्षण कराकर उनका उपयोग किया जायेगा। स्वर्णरेखा, अजय बराज, पुनासी, लतरातू, धनसिंह टोली, गुमानी, कतरी आदि सिंचाई परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जायेगा। कन्हर सिंचाई परियोजना एवं औरंगा सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। बड़े पैमाने पर चेकडैम एवं उद्‌वह सिंचाई परियोजनाओं का जाल बिछाया जायेगा। भालको द्वारा ली गई उद्वह एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया जायेगा। सरकार चाहती है कि जल संसाधन को पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध हो ताकि निकट भविष्य में यह राज्य खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। सिंचाई प्रक्षेत्र के लिए 288.66 करोड़ रुपये का उपबन्ध रखा गया है तथा लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के लिए 60.84 करोड़ रुपये कर्णांकित है।

पशुपालन प्रक्षेत्र की विकास योजनाओं को एक नया रूप देने हेतु सभी पुरानी योजनाओं को विशेषज्ञों की समिति से अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है। होटवार स्थित फर्म नया रूप में विकसित किया जाएगा। मत्स्य पालन प्रक्षेत्र को, आन्ध्र प्रदेश की प्रणाली का अध्ययन कर, स्थिति के अनुरूप प्रोत्साहित किया जाएगा। पशु चिकित्सालयों का उन्नयन किया जाएगा ताकि बीमार पशुओं को समय पर समुचित चिकित्सा मिल सके। पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए कुल 9.77 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं।

राजस्व एवं भूमि से संबंधित समस्याओं का निदान, आदिवासी रैयतों को भूमि की वापसी एवं अधिशेष भूमि का वितरण राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता रखती है। भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित है। सेटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मैपिंग कराकर सभी रैयतों को अपनी जमीन का विवरण एवं नक्शा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रक्षेत्र के लिए 23.31 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के तहत सहाय्य कार्यों के लिए झारखण्ड राज्य में आपदा राहत कोष समिति का गठन किया जा चुका है। गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रु. की अनुदान राशि स्वीकृत की है तथा चार क्षतिग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास हेतु अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

इस राज्य में पर्यटन की असीम सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार झारखण्ड पर्यटन मास्टर प्लान बनाना चाहती है। पर्यटन के समुचित विकास हेतु आय-व्ययक में 5.71 करोड़ रुपये उपबन्ध किया गया है।

झारखण्ड के सभी शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार कराया जायेगा ताकि उन्हें समयबद्ध एवं नियोजित तरीके से विकसित किया जा सके। शहरों तथा छोटी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाएँ जैसे जलापूर्ति, जल-मल निकासी, सफाई, पथों का निर्माण एवं उन्नयन, पार्कों का निर्माण, परिवेशीय सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। झारखण्ड राज्य में राजधानी राँची एवं उप राजधानी दुमका को विकसित किया जायेगा तथा हडको एवं अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर वृहत रूप में राज्य के नगरों एवं उपनगरों में गृह निर्माण की कार्रवाई की जायेगी। नगर विकास प्रक्षेत्र के लिए वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में 133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड राज्य में अभी भी ऐसे गाँव एवं टोले हैं जहाँ पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी भी छोटे गाँव एवं बड़े नगरों में अबाध जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है जिसे दूर करना होगा। यह एक चुनौती है। जिसका समाधान करने का हमारा संकल्प है। सरकार की प्राथमिकता होगी कि अगले वित्तीय वर्ष में अधिकांश ग्रामों एवं छोटे शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाया जाय। इस परियोजनार्थ ग्रामीण इलाकों में पेयजल तथा नलकूप गाड़ने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर प्रारम्भ की जाएगी। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र के लिए 90 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। झारखण्ड राज्य में वृहत एवं लघु उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। इस राज्य के भूतात्विक एवं खनिज पदार्थों का औद्योगीकरण के लिए सदुपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों में ग्रोथ

सेन्टर की स्थापना हेतु भू-अर्जन के कार्य में तेजी लाई जाएगी। बरही में ग्रोथ सेन्टर का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। संताल परगना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया जायेगा तथा राँची में सोफ्ट वेयर टेक्नोलोजी पार्क की स्थापना की जायेगी। सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत उद्योग समन्वय कोषांग खोला जायेगा ताकि उद्यमियों को सुविधा प्राप्त हो सके। बीमार औद्योगिक इकाईयों को पुनर्जीवित किया जायेगा और औद्योगीकरण का विकास जनता को रोजगार दिलाने को ध्यान में रखकर होगा। वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में उद्योग प्रक्षेत्र के लिए 72.29 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

मानव संसाधन विकास क्षेत्र में 129.03 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। राज्य सरकार की इच्छा है कि जितने प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय है उनके भवनों का जीर्णोद्धार किया जाय, छात्र-छात्राओं के ड्रोप आउट रेट को 5 प्रतिशत तक लाया जाय तथा उन्हें समय पर छात्रवृत्ति मिले। झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास पर भी सरकार विशेष ध्यान देगी।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी के प्रक्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस हेतु व्यापक कम्प्युटरीकरण, राँची में प्लैनेटोरियम तथा नेशनल साईस म्युजियम के निर्माण, आर.आई.टी. जमशेदपुर एवं बी.आई.टी सिन्द्री के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। विज्ञान एवं तकनीकी प्रक्षेत्र हेतु 50 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। झारखण्ड राज्य अपनी कला एवं संस्कृति के लिए मशहूर है। सरकार चाहती है कि यहाँ के आदिवासी एवं स्थानीय लोगों की संस्कृति एवं कला पनपे और उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। इसके साथ खेल कूद पर भी विशेष बल दिया जायेगा। यह गौरव का विषय है कि झारखण्ड राज्य के बच्चे हमेशा राष्ट्र स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं में कामयाबी हासिल करते आये हैं। वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में कला, संस्कृति एवं खेल प्रक्षेत्र के विकास हेतु 6.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस राज्य में सहकारिता प्रक्षेत्र में काफी दिलचस्पी लोगों ने दिखाई है और उम्मीद है कि यह एक आन्दोलन का रूप धारण करेगी। सहकारिता में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता रहती है और सरकार इसे बढ़ावा देना चाहती है इसलिए सहकारिता प्रक्षेत्र हेतु 10.80 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

ऊर्जा प्रक्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। झारखण्ड राज्य में ऊर्जा शक्ति पर्याप्त हो तथा इसका सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हो, यही विकास के लिए आवश्यक है। ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से उद्योग एवं कृषि दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार इस हेतु प्रतिबद्ध है इसलिए ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए 125 करोड़ रुपये का उपबन्ध रखा गया है।

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुल 27 काराएँ हैं जिनकी क्षमता 6,137 बन्दियों को रखने की है किन्तु सम्प्रति 15,000 बन्दी संसीमित है। इस स्थिति को सुधारने की दिशा में वर्ष 2001-2002 में मंडल कारा, डाल्टनगंज में दो इकाई वार्ड एवं चाईबासा मंडल कारा में एक इकाई वार्ड बनाने की योजना है। प्रत्येक इकाई में सौ बन्दियों को रखने की क्षमता होगी। इसी प्रकार 6 उप काराओं में भी एक-एक वार्ड बनाने का प्रस्ताव है। सरकार का यह विचार है कि केन्द्रीय कारा को हमेशा शहर में अलग हटकर अवस्थित होना चाहिए। इसी विचारधारा के अनुसार बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा, राँची को नए स्थान पर ले जाया जाएगा। इस हेतु भू-अर्जन के खर्च के लिए बजट में उपबन्ध किया गया है। इस केन्द्रीय कारा के निर्माणार्थ 5,00,00,00 (पाँच करोड़) रु. का प्रस्ताव है। इस कारा की क्षमता 3,000 बन्दियों की होगी। इसके अतिरिक्त तीस इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 2001-2002 में पन्द्रह इकाई वार्डों का निर्माण किया जाएगा जिसमें महिलाओं के लिए अलग प्रबन्ध किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि कारा महानिरीक्षक के कार्यालय एवं 6 मंडल काराओं में कम्प्यूटीकरण किया जाय। कारा प्रक्षेत्र के लिए वर्ष 2001-2002 में कुल 10.00 करोड़ रु. का उपबन्ध किया गया है।

झारखण्ड राज्य के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना योजना, विकास, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग का मुख्य कार्य है। इसके अलावे इन योजनाओं के अनुमोदन तथा अनुश्रवण का भी दायित्व है। इस विभाग पर वर्त्तमान वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिला के लिए दो-दो करोड़ रुपये कर्णांकित किए गए हैं। किसी भी योजना के सूत्रण हेतु सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अत्यावश्यक है इसलिए सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है। योजना, विकास, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन प्रक्षेत्र के लिए कुल 37.64 करोड़ रु. कर्णांकित हैं।

राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य में त्रिस्तरीय बस सुविधा के विकास पर विचार कर रही है। प्रथम स्तर में सुपर डीलक्स बस सेवा, द्वितीय स्तर में साधारण बस सेवा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है एवं राज्य परिवहन अपीलीय न्यायधिकरण के गठन की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में परिवहन प्रक्षेत्र से 120 करोड़ रु. राजस्व संग्रह करने का अनुमान है। राजस्व संग्रह में वृद्धि ट्रकों पर ओवर लोडिंग रोकने एवं अवैध वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालय को मुख्यालय से कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिए जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावे झारखण्ड कार्ड योजना लागू करने के साथ-साथ कम्पोजिट चेक-पोस्ट के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद एवं राँची में स्मोक मीटर एवं केस इनलाईजर लाने का प्रस्ताव है। यातायात नियंत्रण हेतु राज्य के शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बस पड़ाव स्थानान्तरित करने की कार्रवाई चल रही है। वर्ष 2001-2002 में परिवहन मद के लिए एक करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड राज्य में देश की कुल खनिज सम्पदा का लगभग 22 प्रतिशत अवस्थित है जिनका सतत अन्वेषण एवं शोध आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के पश्चिम सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में ताँबा एवं उसके साथ संयुक्त खनिजों के अन्वेषण एवं पर्यवेक्षण का कार्य एक कनाडियन कम्पनी 'फेल्सडाज' को दिशा गया है। ताँबा खनिज की उपलब्धता प्रमाणित होने एवं भंडार की उपलब्धता का प्रमाण मिल जाने पर राज्य में कॉपर स्मेलटर संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना बनेगी। राज्य के गुमला एवं लोहरदगा जिलों में बॉक्साइट की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए उसकी खोज एवं मात्रा निर्धारण का कार्य भारत सरकार के राँची स्थित संस्थान खनिज अन्वेषण निगम को दिया गया है। अभी तक 23.6 मिलियन टन बॉक्साइट खनिज का भंडार प्रमाणित हुआ है। वर्त्तमान बॉक्साइट भंडार के आधार पर राज्य में कम से कम एक अल्यूमिना/अल्यूमिनियम प्लांट की स्थापना की जा सकेगी। राज्य के खनिज बहुल जिलों धनबाद, राँची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ एवं हजारीबाग, जहाँ खनिज पट्टों की बहुत अधिक संख्या है, के लिए कम्प्यूटर प्रणाली अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है ताकि खनिजों के उत्खनन में वृद्धि लाने हेतु अनुश्रवण का कार्य सुगमता एवं सुचारू रूप के किया जा सके। खनन एवं भूतत्व प्रक्षेतर के लिए 4.75 करोड़ रु. बजट में उपबन्ध किए गए हैं।

राज्य के विकास कार्यों हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य के आन्तरिक संसाधनों का प्रमुख हिस्सा वाणिज्य-कर से प्राप्त होता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि वाणिज्य-कर की नीति इस प्रकार की होना चाहिए जिससे कि एक ओर राज्य सरकार के आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि हो, वहीं दूसरी ओर राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय में प्रगति भी आए ताकि आने वाले दिनों में हमारा राज्य एक अत्यन्त की समृद्ध राज्य बन सके। इस उद्देश्य से वाणिज्य-कर प्रणाली एवं दरों में संशोधन एवं सुधार का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिसके दो मुख्य अंग होंगे :—

(क) कर की दरों को युक्तिसंगत बनाना, तथा

(ख) कराधान नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना,

बिक्री-कर की दरों के संबंध में अखिल-भारतीय स्तर पर 'सतही दर' (या फ्लोर रेट) पर एक सहमति है जिसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार सतही दर से कम दर पर कर नहीं लगा सकती है किन्तु उससे अधिक दर पर कर लगा सकती है। किन्तु बिक्री-कर की दरों के निर्धारण में सीमावर्त्ती राज्यों की तुलना में इस प्रकार की हों कि राज्य से व्यापार का विचलन नहीं हो। इस सन्दर्भ में अखिल भारतीय सतही दर, निकटवर्त्ती राज्यों की कर की दरों, आम व्यक्ति को सुविधा आदि की समीक्षा के उपरान्त हमारी सरकार ने बिक्री-कर की दरों में तत्काल निमनलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है :—

1. रसायनिक खाद का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है जिसपर वर्त्तमान में 6 प्रतिशत बिक्री-कर है जबकि सतही दर 4 प्रतिशत है। राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रसायनिक खाद पर बिक्री-कर की दर वर्त्तमान 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाएगी।
2. आटा, मैदा, सूजी, चोकर आम उपयोग की वस्तुएँ हैं जिसपर वर्त्तमान में 4 प्रतिशत बिक्री-कर है जबकि सतही दर

0 प्रतिशत है। आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य आटा, मैदा, सब्जी, चोकर (किसी ब्रांड नेम या सीलबन्द पैक या डिब्बे को छोड़कर) पर कर की दर शून्य कर दी जाएगी अर्थात् ये वस्तुएँ करमुक्त हो जाएंगी।

3. इसी प्रकार, ब्रेड या पावरोटी पर वर्तमान में 4 प्रतिशत बिक्री कर है जबकि सतही दर 0 प्रतिशत है। इस वस्तु पर भी कर की दर घटाकर शून्य कर दी जाएगी अर्थात् ब्रेड, पावररोटी अब कर मुक्त हो जाएंगी।

4. वनस्पति पर वर्तमान में 9 प्रतिशत बिक्री कर है जबकि सतही दर 4 प्रतिशत है। व्यापार विचलन को रोकने तथा आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से इस वस्तु पर बिक्री-कर की दर 9 प्रतिशत से घटाकर सतही दर पर 4 प्रतिशत कर दी जाएगी।

5. विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों पर अलग-अलग दर वर्तमान में निर्धारित है जबकि सतही दर 4 प्रतिशत है। इस वस्तु पर भी सतही दर लागू की जाएगी अर्थात् सभी प्रकार के खाद्य तेलों पर बिक्री-कर की दर 4 प्रतिशत हो जाएगी।

6. सायकिल आम आदमी के चलने का साधन है। इस पर वर्तमान में 8 प्रतिशत बिक्री-कर है जबकि सतही दर 4 प्रतिशत है। सायकिल एवं इसके पार्ट्स पर भी बिक्री कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जायगी।

7. अगरबत्ती एवं धूप का उपयोग प्रायः सभी घरों में होता है। यह कुटीर उद्योग भी है। इस पर बिक्री-कर की वर्तमान दर 9 प्रतिशत है जबकि सतही दर शून्य है। अगरबत्ती एवं धूप पर भी बिक्री-कर की दर 9 प्रतिशत से घटाकर शून्य करदी जाएगी अर्थात् अगरबत्ती एवं धूप कर मुक्त हो जाएगी।

8. हमारी सरकार कम्प्यूटर एवं सूचना तकनीकी को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में कम्प्यूटर पर 8 प्रतिशत बिक्री-कर है जबकि सतही दर 4 प्रतिशत है। कम्प्यूटरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम्प्यूटर, मानीटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस. तथा आई.टी. प्रोडक्ट्स के अन्तर्गत आने वाले आप्टिकल फाइबर केबल पर बिक्री-कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाएगी।

9. सिले-सिलाए कपड़ों यानी रेडीमेड गारमेन्ट्स एवं होजयरी पर वर्तमान में लागू 7 प्रतिशत बिक्री कर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

दरों में उपर्युक्त संशोधनों के अतिरिक्त एक मुख्य विषय अतिरिक्त कर या टी.ओ.टी. (टर्न ओवर टैक्स) का है। राज्य सरकार के लिए एकाएक अतिरिक्त कर हटाना सम्भव नहीं है किन्तु एक शुरूआत के रूप में हमने निर्णय लिया है कि किसानों के हित में रसायनिक खाद से अतिरिक्त कर हटा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दवाओं तथा सभी प्रकार के वाहनों के चेसिस, हल्के एवं व्यवसायिक मोटर वाहन, सभी दो पहिए एवं तीन पहिए वाहन, क्रेन, बुलडोजर, ट्रेलर, एक्सकेवेटेर एवं ट्रैक्टर जिनपर वर्तमान में 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगता है, उसे घटाकर एक चौथाई अर्थात् 0.25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, फर्नेस ऑयल एवं एविएशन स्पिरिट पर प्रथम चरण के बाद अनुवर्त्ती चरण में अतिरिक्त कर समाप्त कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त संशोधनों से राज्य में उद्योग एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा व्यापार विचलन पर रोक लगेगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अन्तर-राजकीय व्यापार पर नियंत्रण तथा कर अपवंचना को रोकने के उद्देश्य से राज्य की सीमा के दस स्थानों पर इन्टीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाये जाएँगे जिनमें वाणिज्य कर नोडल विभाग रहेगा। इसके अतिरिक्त नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से भी कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। छोटे व्यवसायियों जिनका सकल आवर्त 3.00 लाख रुपये तक का है उनके सेल्फ असेसमेन्ट हेतु एक सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी। ईंट भट्ठों से बिक्री कर वसूली हेतु समाहितकरण (कम्पाउडिंग) की व्यवस्था लागू की जाएगी तथा होटल एवं विलासिता कर एवं मनोरंजन कर प्रणाली में भी सुधार पर विचार किया जा रहा है।

हमारी सरकार को अभी साढ़े तीन माह हुए हैं तथा इसी अल्पावधि में कर सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। अभी सुधारों का प्रथम चरण है तथा कर सुधार पर अभी और कार्य होना है।

हमें विश्वास है कि वर्तमान सुधारों के बाद वाणिज्य-कर के संग्रहण में और बढ़ोतरी होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, हमारी

सरकार की स्पस्ट नीति है कि एक ओर राज्य के आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि, वहीं दूसरी ओर उद्योग, कृषि एवं व्यवसाय को भी बढ़ावा मिले ताकि हमारा राज्य एक अत्यंत ही समृद्ध राज्य बन सके।

वर्त्तमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के संसाधनों की स्थिति पर भी प्रकाश डालना मैं उचित समझता हूँ।

15.11.2000 से 31.3.2001 की अवधि के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 1764.38 करोड़ रु. है। आगामी वर्ष में राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 5695.84 करोड़ रु. है। वर्त्तमान वर्ष की उक्त अवधि के लिए राज्य कर प्राप्तियाँ 511.66 करोड़ रु. अनुमानित हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य कर प्राप्तियाँ बढ़ने का अनुमान है तथा 2035.95 करोड़ रु. की राज्य कर की वसूली अनुमानित है। इनमें प्रमुख रूप से बिक्री कर, उत्पाद, परिवहन, निबंधन, विद्युत पर कर तथा ड्यूटी सम्मिलित है। करेत्तर प्राप्तियाँ 1077.66 करोड़ रु. अनुमानित हैं।

केन्द्रीय सरकार से आयकर, बुनियादी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में राज्य का हिस्सा मदों में 15.11.2000 से 31.3.2001 तक 606.10 करोड़ रु. प्राप्ति अनुमानित हैं जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में 1895.20 करोड़ रु. की प्राप्ति अनुमानित है। केन्द्र सरकार से विभिन्न अनुदान भी प्राप्त होते हैं जिनमें प्रमुख हैं :— केन्द्र-चालित स्कीमों के लिए अनुदान, योजना स्कीमों के लिए अनुदान, 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान आदि। सहायक अनुदान मद में वर्ष 2001-2002 में 687.03 करोड़ रु. की प्राप्ति का अनुमान है।

राजस्व व्यय का वर्त्तमान वर्ष (15.11.2000 से 31.3.2001) का पुनरीक्षित अनुमान 1978.79 करोड़ रु. है जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह राशि 5516.33 करोड़ रु. अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व लेखे में 179.51 करोड़ रु. की बचत अनुमानित है।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, जिनमें लोक ऋण तथा कर्जे एवं उधार शामिल हैं, के अन्तर्गत 1405.13 करोड़ रु. का बजट अनुमान है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (15.11.2000 से 31.3.2001 तक) में पुनरीक्षित अनुमान 695.55 करोड़ है। कुल पूँजीगत व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की उक्त अवधि में 563.86 करोड़ रु. अनुमानित है तथा वर्ष 2001-2002 में 1657.79 करोड़ रु. व्यय का अनुमान है। इस प्रकार पूँजी लेखों में कुल 252.66 करोड़ रु. का घाटा तथा समेकित निधि में 73.15 का घाटा अनुमानित है। 1979.27 करोड़ रु. की लोक लेखा प्राप्तियाँ आगामी वर्ष में अनुमानित हैं। लोक लेखा व्यय 1843.63 करोड़ अनुमानित है अतः लोक लेखे में 135.64 करोड़ रु. का बचत अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में कुल शेष बचत 62.49 करोड़ रु. की होगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट विकासोन्मुख है, जिसमें राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए सभी महत्त्वपूर्ण प्रक्षेत्रों में यथेष्ट राशि का उपबन्ध किया गया है। अनुत्पादक खर्चों में कटौती का प्रयास किया गया है किन्तु यह भी ध्यान रखा गया है कि नवगठित राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी विभागों तथा कार्यालयों को आधारभूत संरचना दी जाये, उन्हें सुदृढ़ किया जाये। संक्षेप में, राज्य का योजना बजट, केन्द्र प्रायोजित योजना सहित, 2551.80 करोड़ रु. का तथा गैर योजना आय-व्ययक 4622.32 करोड़ रु. का है।

❑❑❑